मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल के लॉन संख्या 1 से 5 के

अस्थाई आवंटन सम्बन्धी सामान्य नियम एवं शर्तें

1. आयोजक द्वारा आवंटन हेतु कम से कम 30 दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. आवंटन हेतु आवंटन फार्म पर आवेदन करना अनिवार्य होगा, जो परिक्षेत्र के प्रबन्धक कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा।
3. आयोजक द्वारा आवंटन हेतु संबंधित परिक्षेत्र के प्रबंधक कार्यालय में आवंटन फार्म प्रस्तुत किया जाएगा।
4. उपरोक्तानुसार आवंटन हेतु आयोजक को सरकार द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत जीएसटी राशि अतिरिक्त देय होगी।
5. कुल आवंटन शुल्क की 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।
6. आयोजक द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं समारोह के आयोजन हेतु टेन्ट, कैटरिंग, विद्युत अलंकरण व पुष्प साज-सज्जा की व्यवस्था पार्क/परिक्षेत्र की इम्पैनल्ड फर्म के माध्यम से करायेंगे।
7. एक से अधिक आयोजकों/संस्थाओं द्वारा एक ही तिथि/अवधि में आयोजन हेतु आवेदन करने की स्थिति में स्थल के आवंटन का अन्तिम निर्णय मुख्य प्रबन्धक द्वारा लिया जायेगा, जो कि सर्वमान्य होगा।
8. स्मारक समिति को बिना कारण बताये किसी भी समय आयोजन स्थल का आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। आयोजक/संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि में से जी0एस0टी0 कटौती के उपरान्त बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
9. आयोजन/कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित तिथि/अवधि हेतु आवंटन के किराये की धनराशि आवंटन की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व जमा करने के उपरान्त ही प्रस्तावित तिथि/अवधि हेतु स्थल अस्थाई रूप से आरक्षित किया जायेगा।
10. आयोजक/संस्था द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित तिथि/अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि पूर्व प्रस्तातिव तिथि/अवधि में कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में छोड़ी गयी तिथि/अवधि का आधा शुल्क जी.एस.टी. सहित जमा किया जाना अनिवार्य होगा अथवा प्रतिभूति धनराशि से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
11. आयोजन/कार्यक्रम को केवल विस्तारित करने के लिए पुनः आवंटन सम्बन्धी आवेदन उपलब्ध कराते हुए आवंटन तिथि के प्रारम्भ से आवंटन अवधि के मध्य तिथि तक आवेदन फार्म एवं धनराशि सहित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
12. आवंटन किराया एवं आवश्यकतानुसार वांछित अनापत्ति प्राप्त कराने के उपरान्त ही आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी तथा मुख्य प्रबंधक के अनुमोदनोपरान्त आयोजन हेतु अनुमति-पत्र निर्गत किया जाएगा।
13. यदि किसी कारणवश आवेदक/आयोजक द्वारा आवंटन निरस्त कराया जाता है, तद्दशा में जमा आवंटन शुल्क में से 25 प्रतिशत धनराशि एवं सम्पूर्ण जी.एस.टी. की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस की जायेगी।
14. आवंटन की धनराशि ''स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्को व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ के खाता संख्या-0294000110073467'' के पक्ष में जमा करायी जायेगी। यदि स्मारक समिति के पूरे नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में असुविधा का सामना करना पड़े तो संक्षिप्तनाम "SSSPUAPS EVAM ANURAKSHAN SAMITI" A/C 0294000110073467" के पक्ष में डिमाड ड्राफ्ट बनवाकर मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल के लेखाकार कार्यालय में जमा करते हुए उसकी रसीद प्राप्त कर ली जायेगी।

15. प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु आवश्यकतानुसार संस्था/आयोजक का जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट एवं रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति, पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि, कैन्सिल्ड चेक, पासबुक की प्रतिलिपि, जिसमें आई0एफ0एस0सी0कोड अंकित हो, संलग्न करते हुये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर प्रबन्धक कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

16. आयोजन से पूर्व यदि विभाग द्वारा किराया शुल्क में पुनरीक्षण होता है, तो पुनरीक्षित किराया जमा करने हेतु आयोजक/संस्था बाध्य होगी।

17. निर्धारित दरें केवल स्थल आवंटन हेतु हैं, इनमें अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं यथा-विद्युत एवं अन्य सुविधाएं सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् स्थल आवंटन हेतु निर्धारित धनराशि समिति के खाते में जमा करने के उपरान्त जैसा है, जहाँ है, (स्थल की वर्तमान स्थिति के आधार पर) मात्र स्थल का ही आवंटन किया जायेगा। शेष समस्त सुविधायें आयोजक को स्वयं के खर्चे पर वहन करनी होंगी।

18. सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा परिसर में अस्त्र-शस्त्र का उपयोग अथवा प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

19. स्थल का आवंटन किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा, जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो, देशद्रोह की भावना व्याप्त होने की सम्भावना हो तथा जिससे भारतीय संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो। किसी समुदाय की भावनाओं के आहत होने की सम्भावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।

20. कार्यक्रम के दौरान परिक्षेत्र में तैनात सुपरवाइजर (जनसम्पर्क/टिकटिंग)/(सिविल/सैनीटेशन) की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिससे आयोजन के पश्चात् की स्थिति का आंकलन किया जा सके। अंकित सुपरवाइजर के अवकाश की दशा में परिक्षेत्र के किसी 01 उत्तरदायी कार्मिक, जिसका ग्रेड वेतन रु0 1900 से कम नहीं होगा, उपस्थित रहेगा।

21. आयोजन के दौरान स्थल को यदि कोई क्षति पहुँचती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि आयोजक से वसूल की जाएगी।

22. आवश्यकतानुसार आयोजक व पदाधिकारियों के नाम, पदनाम व पते का विवरण एवं साथ ही ड्यूटी पर लगे कार्यकर्ताओं की सूची मोबाईल नंबर सहित तथा कार्यक्रम का ले-आउट प्लान भी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सके। पदाधिकारियों का विवरण/यदि पंजीकृत हो तो पंजीकरण प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की प्रति/पते का प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

23. आवश्यकतानुसार आयोजन में आने वाले मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य महानुभावों का विवरण तथा आयोजन हेतु कार्यकर्ताओं जन सामान्य के प्रवेश की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षात्मक एवं निषेधात्मक उपायों का विवरण, बैरिकेटिंग, मोजो व बैरिकेट्स व भीड़ प्रबंधन हेतु उपायों का विवरण, कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्यक्रम का ले-आउट, सीटिंग प्लान, मंच व्यवस्था, आयोजन हेतु खान-पान व्यवस्था का विवरण, वाहनों की पार्किंग का ले आउट, आयोजन के दौरान स्थापित किये जाने वाले मंच, हैंगर, वैनिटी वैन की व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजन से पूर्व, आयोजन के दौरान व आयोजन के पश्चात् बैरिकेटिंग व भीड़ प्रबन्धन हेतु स्वयं उपाय किये जायेगें। टीम, सुरक्षा गार्ड सहित कार्यकर्ताओं की संख्या का विवरण, आयोजन में आगन्तुकों/अतिथियों के आगमन व बैठने की व्यवस्था, संचालन व प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों का विवरण सहित उपलब्ध कराया जाएगा।

24. आस-पास बैरिकेटिंग कराने, सुरक्षित करने, आगुन्तकों के आवागमन एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आयोजक का होगा।

25. आयोजक द्वारा आयोजन के प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर/वाल राइटिंग/बैनर पेस्टिंग आदि परिसर की दीवारों पर नहीं किया जाएगा। उल्लंघन होने पर धरोहर राशि से कटौती/जब्त किये जाने के अतिरिक्त अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा।

26. आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, नगर निगम, यातायात, एल. आई.यू., निर्वाचन विभाग इत्यादि से वांछित अनुमति, सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था आयोजक द्वारा स्वयं की जाएगी तथा कार्यालय को भी उक्त प्रपत्र/अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।

27. आयोजन के दौरान किसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु एम्बुलेन्स तथा चिकित्सकों की टीम की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करनी होगी।

28. यदि प्रस्तावित कार्यक्रम या सजीव प्रसारण (लाइव परफार्मेन्स) अथवा कापीराइट एक्ट से आच्छादित होता है, तो आयोजक को सक्षम प्राधिकारी की सहमति/अनापत्ति लिया जाना आवश्यक होगा और आयोजन से पूर्व प्रबन्धक कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

29. स्मारक समिति के कर्मियों को आवंटन हेतु निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा, जिसके अंतर्गत कर्मियों के परिवार (बेटा, बेटी, सगे एवं चचेरे भाई-बहन, भतीजा-भतीजी, बुआ, चाचा तथा स्वयं) के सदस्य आच्छादित होंगे।

30. यदि जिला प्रशासन/शासन/निर्वाचन आयोग द्वारा स्थल का अधिग्रहण किया जाता है, तो आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। आयोजक/संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि में से जी0एस0टी0 कटौती के उपरान्त बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

31. वाद-विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।